भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 593
जिसका उत्तर गुरुवार, 24 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

विधिक शिक्षा का प्रसार

593 श्री राजीव शुक्ला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विधिक जागरूकता और शिक्षा के प्रसार हेतु उपाय करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) इस संबंध में क्या उपाय प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देश भर में बच्चों, श्रमिकों, आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनो आदि से संबद्ध विभिन्न विधि और स्कीमों नियमित रूप से विधिक जागरूकता कार्यक्रमो का संचालन किया जाता है। सरल भाषा में ज्ञानप्रद पुस्तिकाएँ और पैम्फ्लेट्स भी वितरित की जाती हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किये गए विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	आयोजित किये गए कार्यक्रम	उपस्थित व्यक्ति
2022-23	4,49,055	6,75,17,665
2023-24	4,30,306	4,49,22,092
2024-25	4,62,988	3,72,32,850
	13,83,349	14,96,72,607

सरकार, अखिल भारतीय स्कीम "डिजाईनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इंडिया" (दिशा) (2021-26) के अधीन विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी) का क्रियान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के अधीन पूर्वोत्तर राज्यों की 22 अनुसूचित भाषाओं/बोलियों में विभिन्न सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) सामग्री विकसित की गई है ।

दूरदर्शन के सहयोग से, 6 भाषाओं में 56 टीवी कार्यक्रम प्रसारित किए गए, जिसका प्रभाव 70.70 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचा, इसके साथ ही, 20 वेबिनार (सितंबर 2021-अक्टूबर 2023) भी आयोजित किए गए। 10 जुलाई, 2025 को साइबर अपराध पर 21वाँ राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। यह विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों पर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। सरकार आने वाले वर्षों में भी ऐसे वेबिनार आयोजित करती रहेगी। एलएलएलएपी का कुल विस्तार 1 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों तक है।

विधिक शिक्षा के संबंध में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

****